

## कार्यालय जिला पंचायत, महाराजगंज

पत्रांक: जि०प०म०/2018/124

दिनांक: 07/03/2018

शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट


पता- 132 जी०एच०, अशोक नगर, बशारतपुर, गोरखपुर

**विषय:-** दिव्या कालेज आफ फार्मसी महाराजगंज हेतु मानचित्र स्वीकृति पत्र।

आपको सूचित किया जाता है कि आपके भूखण्ड संख्या 1561 व 1562/4032 पर नव निर्मित भवन के मानचित्र को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है :-

1. प्रस्तावित निर्माण मानचित्र जो आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसी के अनुरूप भवन का निर्माण कार्य करें।
2. प्रस्तावित भवन निर्माण महाराजगंज में कराने के आदेश दिये जाते हैं।
3. प्रस्तावित निर्माण सरकारी आराजी/लोक निर्माण विभाग/पालिका की सम्पत्ति / सड़क पर बढ़ाकर नहीं किया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत मानचित्र के सम्बन्ध में कोई विवाद/शिकायत किसी भी समय प्राप्त होती है, तो स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी, जिसके लिए भवन निर्माण कर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. प्रस्तावित निर्माण प्रस्तुत नक्शे एवं बैनामें में दी गई निर्धारित चौहद्दी के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने की 5 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल में शुष्क शौचालय का निर्माण नहीं करेंगे।
7. यदि कोई स्वीकृति छल कपट एवं गलत साक्ष्यों को प्रस्तुत करके प्राप्त की गई है ऐसा विभाग की जानकारी में आता है तो स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा जिला पंचायत द्वारा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

अनुमोदित मानचित्र पर निर्मित भवन केवल फार्मसी कॉलेज हेतु ही प्रयोगिक है।

  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, महाराजगंज  
महाराजगंज